तारीख हुक्म	न्या० उपखण्ड अधिकारी उच्चैन मु०न० 134/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमप्रकाश बनाम उदयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील अभिलेख दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 38 / 2024

1. ओमप्रकाश
2. मानसिंह
3. सतीशचन्द पुत्रान डालचन्द
4. थानसिंह
5. लखपत पुत्रान खचेरा समस्त जातियान कुशवाह निवासी चक सहना तह0 उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. दारासिंह पुत्र कमल सिंह
2. नवाब सिंह पुत्र दारासिंह निवासी चक सहना तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए।

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—27.11.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.46 व 412 रकवा 0.39है0 वाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादीगण की इस आराजी के तरफ पश्चिम में अप्रार्थीगण ने अपना मचान निर्माण कर रहे है एवं प्रार्थीगण की आराजी की डौल मेड तोडकर अपना निर्माण करना चाहते है जिसके लिये अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.05.2024 से नींव खोदना चालू कर दिया है एवं मना करने पर अप्रार्थीगण ने धमकी दी एवं मारने पीटने पर अमादा हो गये है जिसके कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की गई। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके बिरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थीगण की आराजी

Rahul Shrivastava
27/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

से लगी हुई है एवं पक्की मेड बनी हुई है जिसको अप्रार्थीगण तोडना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र आदि का अवलोकन किया गया। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 405/0.46, 412/0.39है0 बाके ग्राम तेहरा ब्राह्मण तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Shrivastava 27/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)